2.11.17

आवेदक/आरोपी कुंवरसिंह अभिरक्षा में, की ओर से श्री के.पी.मिश्रा अधिववता उपस्थित।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री

सबलसिंह भदौरिया उपस्थित।

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) गोहद जिला भिण्ड का न्यायालय रिक्त होने से कार्य विभाजन पत्रक के अंतर्गत जमानत आवेदन की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जा रही है।

आवेदक कुंवरसिंह को नियमित जमानत पर छोड़े जाने के लिये प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. इस आधार पर पेश किया गया है कि वह निर्दोष है, उसके विरुद्ध झूंठा मामला पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के ससुर जगन्नाथ से अभियोक्त्री के पिता द्वारा जमीन खरीदने का फर्जी विक्रय बयनामा निष्पादित कराया गया था और पैसे का लेनदेन नहीं हुआ था। जिसके संबंध में विवाद और जांच चल रही थी, उससे बचने के लिये अभियोक्त्री के पिता द्वारा झूंठी रिपोर्ट कराई गई है। इसलिये उसे जमानत का लाभ दिया जाये। समर्थन में विक्रय बयनामा की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गंभीरता

के आधार पर जमानत का विरोध किया है।

उभय पक्ष को जमानत आवेदन पर सुना। विशेष

सत्र प्रकरण का परिशीलन किया गया।

आवेदक व एक अन्य के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला भिण्ड द्वारा अप क. 146/17 में भा द वि की धारा 376डी एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विचारण किया जा रहा है।

अभियोजन पक्ष कथनानुसार घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 17 वर्ष थी। घटना दिनाक 8.10.17 की रात करीब 9.30 बजे जब वह लैट्रिन करने गई थी और लेट्रिन कर रही थी तभी वहां सह अभियुक्त बबलू मिर्घा और आवेदक कुंवरसिंह आ गये। आवेदक ने सह अभियुक्त बबलू से कहा कि तूं इस लड़की के साथ बुरा काम कर फिर में करता हूं तो सह अभियुक्त बबलू ने उसे जमीन पर पटक लिया और मुंह में रूमाल ठूस दिया तथा उसके साथ बुरा काम करने लगा तथा आवेदक पास में खड़ा रहा था तभी अभियोक्त्री के पिता ने आवाज

Order Sheet [Contd] 3 ng. 146/17 2000 3

Case No. of 20 . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	लगाई कि कौन है तो अभियुक्तगण उसे छोड़कर पीछे खेतों की तरफ भाग गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि घटना के समय आवेदक की उपस्थिति अन्य मुख्य अभियुक्त के साथ होना बताई गई है। अभियोक्त्री के पिता और आवेदक के ससुर के मध्य जमीन संबंधी घटना के पूर्व का विवाद विद्यमान है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में जबकि आवेदक दिनांक 16.10.17 से न्यायिक अभिस्क्षा में है, विचारण में समय लगेगा। आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतः आवेदन स्वीकार किया जाता है। आवेदक द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद श्री मो०अजहर की संतुष्टि योग्य धारा 437(3) द.प्र.स. की शर्तों के अंतर्गत 50,000/—(पचास हजार) रूपये का स्वयं का बंधपत्र एवं इतनी ही राशि की प्रतिभूति प्रस्तुत करे तो उसे नियमित जमानत पर छोड़ा जावे। अादेश की प्रति सहित केस डायरी वापस की जाये। प्रकरण पूर्ववत चालान पेश करने हेतु दिनांक 10. 11.17 को रखा जाये। (योगेश कुमार गुप्ता) विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.एक्ट) भिण्ड वारते विशेष न्यायाधीश गोहद पाक्सो एक्ट विद्या भिष्ट	and Jan